कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा .भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12101/वअ/सी0भ0/व0अ0/वो–II/2011–16 दिनांक 10–01–19 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा **वरिष्ठ अध्यापक–विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम–2008 के अनुसार पी.बी.–2(9300–34800)ग्रेड पे–4200 **राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11** पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को **वरिष्ठ अध्यापक–विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.–2(9300–34800) ग्रेड पे–4200 **राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11** में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1– इनकी पात्रता एंव इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, एंव अन्य आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।

2–नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4–विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 100/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।

5–राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जाती है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

6–**आपके स्तर पर** यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:–

(अ) **अन्य** पिछड़ावर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हों। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है,अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(ब)अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्यात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें

7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

8. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस0बी0सिविल रिट याचिका सॅख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।

वरिष्ठ अध्यापक :– विज्ञान

क0 सं0	मैरिट कमांक	छाया चित्र	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापित स्थान
1	2361		GE, WE, WD	मधु सक्सैना / सुरेन्द्र कुमार सक्सैना , कालीमाई मंदिर के पास राजाखेडा रोड ,धौलपुर	06–02–82	GENF	राउमावि सरानी ,धौलपुर

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि **31–01–2019** होगी । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(इन्दिरा सिंह)
संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनॉक: 17–01–2019

क्रमांकः सानि/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था–1/फा–नियु–वअ/2018/ 487

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
2– प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
3– शासन उपसचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
4– शासन उपसचिव,कार्मिक(क–2)विभाग,राजस्थान,जयपुर
5– सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
6– आयुक्त रा.मा.शि.अ.राजस्थान सरकार जयपुर
7– निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर
8– जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)–मुख्यालय धौलपुर को मूल आवेदन पत्र सहित
9– संबधित सीबीईईओ .....
10– संबंधित संस्था प्रधान,राउमावि/रामावि–––––––––
11– संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
12–रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर